UPSI010000532026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–14, सीतापुर।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–14/2026

सी.आई.एस. नं.–28/2026

रामलखन बनाम सरकार।

मु0 अ 0 सं0–440/2025
धारा–70(1) बी०एन०एस०
थाना–संदना, जिला–सीतापुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

मुकदमा अपराध संख्या–440/2025, अन्तर्गत धारा–70(1) बी०एन०एस०, थाना–संदना, जिला–सीतापुर के संबंधित प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त **रामलखन** की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा द्वारा थाने पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी है कि वादिनी प्रियंका उर्फ छवी पुत्री दिलीप उम्र करीब 20 वर्ष निवासी शिशु बालगृह जिला श्रीगंगानगर राज्य राजस्थान की निवासी है, जो कि वर्तमान पता ईएसआई/409 सेक्टर ए अलीगंज, लखनऊ शिव बिहार रोड, लखनऊ में रहकर दवाई सप्लाई का कार्य करती है। संदीप पुत्र जंगू जो कि वादिनी के पड़ोस में किराये पर अपने परिवार के साथ लखनऊ में ही रहते हैं। संदीप पुत्र जंगू से वादिनी का भाई बहन का रिस्ता है। वादिनी उनके गाँव वाले घर पर आती–जाती रहती है। दिनांक–03.12.2025 को वादिनी प्रियंका उर्फ छवी अकेले ही भाई संदीप के गाँव पारा गयी थी, जिसके बाद दिनांक–10.12.2025 को समय करीब ग्यारह बजे दिन में भाई संदीप की चचेरी बहन सीता मेदपुर तिराहे पर छोड़कर चली गयी, जिसके बाद वादिनी ऑटो में बैठकर गोपालपुर भट्ठा आ गयी और चौराहे पर अपना फोन चार्ज करने लगी, जिसके बाद इतने ही देर में रामलखन पुत्र छोटे उर्फ छोटन्नी के साथ रामजस पुत्र मंसाराम आ गये और वादिनी से पूछा कि कहां जा रही हो तो वादिनी ने कहा कि लखनऊ जा रही हूँ। विपक्षीगण के द्वारा कहा कि हम सिधौली तक छोड़ देंगे, जिसके बाद उनके साथ बाईक पर बैठ गयी तो विपक्षी रामलखन बोला कि चलो अपनी बुआ से मिलाते हैं, उसके बाद विपक्षीगण वादिनी को अपने साथ और कुछ दूर चले, तब उन लोगों ने शराब पी और वादिनी को भी पिलाया, जिससे वादिनी को नशा हो गया और कुछ दूर चलने के बाद वादिनी टॉयलेट के लिये बाइक रोकने को कहा और वादिनी सड़क के किनारे लिप्टिस के खेत में टॉयलेट करने चली गयी, विपक्षीगण ने वादिनी को पीछे से आकर पकड़ लिया और वादिनी के साथ बारी–बारी से गलत सम्बन्ध बनाये, जिसके बाद विपक्षीगण बाइक पर बैठाकर लखनऊ आवास पर छोड़ आये।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में लिए गए आधार इस आशय के हैं कि प्रार्थी को उक्त वाद में रंजिशन झूठा फंसाया गया। प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है। वादिनी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वादिनी द्वारा घटना का स्थान व समय का उल्लेख भी अपनी तहरीर में नहीं किया गया है, जिससे घटना फर्टी व बनावटी प्रतीत होती है। वादिनी द्वारा घटना सड़क के किनारे की बतायी गयी है, जहां पर जनता के लोगों का आना–जाना लगा रहता है। वादिनी प्रार्थी को जानती व पहचानती भी नहीं है, मात्र सह–अभियुक्त के बताने के अनुसार नामजद कर दिया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध लगाये गये आरोप असत्य व निराधार हैं। वादिनी के बयानों में काफी भिन्नता है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक–13.12.2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन के अनुसार, प्रार्थी/अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार करने का अभियोग है।

Digitally signed by BHAGIRATH VERMA
Date: 2026.01.09 16:29:13 IST
Reason: Order
Location: ADJ Court-14 Sitapur

धारा–180 बी०एन०एस०एस० के अपने बयान में पीड़िता ने अभिकथित किया है कि मेरी उम्र 20 वर्ष है। मैं कक्षा बारह तक शिशु बालगृह श्रीगंगानगर राज्य राजस्थान से किया है व मैं एन०एम० लखनऊ से एम०ए०टी कालेज से कर रही हूँ। मैं दिनांक–03.12.2025 को अपने मुंह बोले भाई संदीप के गाँव पारा आयी थी, फिर दिनांक–10.12.2025 को मैं पारा गाँव से संदीप की चचेरी बहन सीता के साथ मेदपुर तिराहे तक आयी, फिर वह मुझे ऑटो पर बैठाकर चले गये, फिर मैं गोपालपुर भट्टा गयी, वहीं पर एक दुकान में मैंने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया तभी रामलखन (शिवम के फूफा शिवम संदीप के घरर के सामने रहता है) व रामजस संदीप के गाँव पारा का लड़का) संदीप की बाइक से आये, मुझसे पूछा कहां जा रही हो। मैंने बताया लखनऊ, तब उन लोगों ने कहा चलो हम तुम्हें सिधौली तक छोड़ देंगे, पर उससे पहले रामलखन ने कहा तुम अपनी बुआ से भी मिल लो, फिर दोनों ने मुझे बाइक पर बैठा लिया और वहीं रास्ते पर शराब पिलाई, फिर कुछ दूर पर मैंने कहा मुझे टॉयलेट आयी है, तब सड़क के किनारे गाड़ी रोकी, मैं उतरकर पेड़ के बीच में गयी, तभी रामलखन ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा और रामजस ने मेरा मुंह दबा दिया, फिर दोनों ने मेरे साथ गलत काम किया, वहां पर मैं चिल्लाई पर कोई नहीं था, फिर ये लोग बैठाकर मुझे रामलखन के घर गये, थोड़ी देर बाद हम वहां से निकले, तब अकेले रामजस मुझे बाइक पर बैठालकर लखनऊ तक लाया और मुझे छोड़कर चला गया, फिर मैंने यह सारी घटना भाभी को बतायी।

धारा–183 बी०एन०एस०एस० के अपने बयान में पीड़िता ने अभिकथित किया है कि मेरी उम्र 20 वर्ष है। दिनांक–10.12.2025 को मैं सुबह ग्यारह बजे जलालपुर भट्टे पर खड़ी हुई थी, वहां पर मैंने अपना फोन चार्जर पर लगा दिया था, उसके बाद मैं पार्सल का इंतजार कर रही थी, तभी वहां पर मुझे फोन आया कि पार्सल लेट हो जायेगा, तो मैं इंतजार करने लगी और इंतजार करते हुए एक से ज्यादा बज गया, तभी वहां पर रामलखनू आ गये, रामलखन को मैं फूपा कहती हूँ, वह मुझसे कहने लगे कि चलो तुम्हारी बुआ से मिलाकर ले आता हूँ। पहले मैंने मना किया, लेकिन बाद में जाने के लिये तैयार हो गयी, वह दोनों बाइक पर बैठाकर मुझे ले जाने लगे, रास्ते में मुझे पेशाब आने लगा था, तो मैंने बाइक रुकवा दी थी, उन लोगों ने बोला कि जाओ तुम पेशाब कर आओ। मैं पेशाब करने खेत में चली गयी, तभी उन दोनों ने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया और रामजस ने मेरा मुंह दाब लिया और रामलखन ने मेरा रेप किया, उसके बाद रामजस ने भी मेरा रेप किया। वह मेरे मुंह में जबरदस्ती शराब डाल रहे थे, उसके बाद मैं बेहोश हो गयी थी, फिर ये लोग मुझे लखनऊ में छोड़कर आ गये।

प्रार्थी द्वारा अपने जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ एक प्रार्थना–पत्र दिनांकित–11.12.2025 की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसे रामलखन द्वारा जिलाधिकारी, सीतापुर को प्रेषित किया गया है और इस प्रार्थना–पत्र पर यह अंकित है कि रामजस व कु० छवि ने उसको चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उससे 50043/–रुपये चोरी से ले लिये। रामजस ने फर्जी फंसाने की नियत से अपनी महिला साथी से झूठा प्रार्थना–पत्र दिलवा दिया, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में रामलखन व रामजस दोनों ही अभियुक्तगण है। यदि रामलखन ने रामजस के विरुद्ध पेशबन्दी में मुकदमा कायम कराया होता तो वह स्वयं को सह–अभियुक्त नहीं बनाता।

पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० तथा धारा–183 बी०एन० एस०एस० में अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथी के साथ मिलकर उसके साथ बलात्कार करने का कथन किया है।

अतः अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता व मामले के सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **रामलखन** का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(भगीरथ वर्मा)
(JO CODE : UP6207)
विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–14,
सीतापुर।

<u>दिनांक–09.01.2026</u>

संदीप/–